



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266617
CG-DL-E-03102025-266617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947

No. 649]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि.733(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4), उप-धारा (8), उप-धारा (9), उप-धारा (10) और उप-धारा (11) और धारा 124 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये 6 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होंगे।
2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -



"प्ररूप सं. आईईपीएफ-5

प्ररूप की भाषा

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से असंदत्त राशि और शेयरों का दावा करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन

अंग्रेज़ी

हिंदी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

1. कंपनी या बैंक द्वारा जारी हकदारी पत्र



हां



नहीं

यदि फ़ील्ड संख्या 1 में 'हाँ' का चयन किया जाता है।
हकदारी पत्र की प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड करें

2. किसके दावा द्वारा फ़ाइल किया जाना है



स्वयं



प्राधिकृत प्रतिनिधि

यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में फ़ाइल करना
प्राधिकृत पत्र की हस्ताक्षरित प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड करें

3. आवेदक का विवरण

आवेदक की विशिष्टियां

3 (क) *आवेदक की श्रेणी



व्यक्तिक



इकाई

व्यक्तिक का विवरण

(ख) प्रथम नाम

(ग) मध्य नाम

(घ) अंतिम नाम

(ङ) पिता का प्रथम नाम

(च) पिता का मध्य नाम

(छ) पिता का अंतिम नाम

(ज) *जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)

इकाई का विवरण

(झ) इकाई का प्रकार

(कंपनी/एलएलपी/विदेशी कंपनी/विदेशी एलएलपी/एचयूएफ/एकमात्र स्वामित्व/साझेदारी/अन्य)

(ञ) *सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआईएन/एफएलपीआईएन/रजिस्ट्रीकरण सं।

(ट) *इकाई का नाम

(ठ) *निगमन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

आवेदक का संपर्क विवरण

(ड) * दावेदार का पता

*पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

*देश

*पिन कोड/ज़िप कोड

*क्षेत्र/स्थान

*शहर

जिला

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(ढ) दूरभाष संख्या

(ण) *मोबाइल संख्या (देश कोड के साथ)

ओटीपी भेजें

ओटीपी पुनः भेजे

(त) *मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

ओटीपी सत्यापित करें

(थ) *ई-मेल आईडी

ओटीपी भेजें

ओटीपी पुनः भेजे

(द) *ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

ओटीपी
वेरिफाई करें

(ध) आधार संख्या

(न) (i) *दावेदार का आधार कार्ड और यदि संयुक्त धारक हैं, तो सभी संयुक्त धारकों के आधार कार्ड की प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड करें

(प) विदेशियों और एनआरआई के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआईओ कार्ड संख्या

(फ) (i) *विदेशियों और एनआरआई के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआईओ कार्ड की प्रतिलिपि

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड करें

(व) *आवेदक का पैन

पैन सत्यापित करें

कंपनी/बैंक विवरण**4 *कंपनी/बैंक, जिससे रकम देय है, की विशिष्टियां**(क) *कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) /
बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)

(ख) *कंपनी/बैंक का नाम

(ग) *कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(घ) *कंपनी/बैंक की ईमेल आईडी

5 (क) *क्या यह आईईपीएफ़ नियम, 2016 के नियम 7 (8) और नियम 7 (9) के अधीन अंतरण या संचरण का मामला है।

हाँ ☐नहीं ☐

(ख) मूल प्रतिभूति धारक का नाम

(ग) प्रतिभूति धारक के साथ दावेदार का संबंध

(घ) नामनिर्देशिती/विधिक वारिस/उत्तराधिकारी/प्रशासक/अन्य धारकों की संख्या

(ङ) लाभार्थी का नाम

(च) दावेदार द्वारा सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(छ) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / प्रोबेट / वसीयत

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ज) अन्य धारक से अनापत्ति प्रमाण पत्र

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(झ) क्षतिपूर्ति बांड और ज़मानत शपथ पत्र

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ञ) नियमों के अधीन अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

दावे का विवरण

6. *दावे का प्रकार



शेयर



रकम



रकम और शेयर

7. दावा किए गए शेयरों का विवरण (एक कंपनी/बैंक के लिए एक से अधिक फोलियो जोड़े जा सकते हैं।)

(क) फोलियो की संख्या

अधिकतम 15 प्रविष्टियाँ

सं.	धारण का प्रकार (वास्तविक/डीमैट) ▼	फोलियो सं. जिससे आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है पूरा डीमैट खाता संख्या जिसमें से आईईपीएफ में अंतरण किया गया है ▼	शेयर का प्रकार (इक्विटी/अभिरुचि) ▼	शेयरों की संख्या
कुल				

8. दावाकृत रकम का विवरण

(क) दावों की संख्या

अधिकतम 15 प्रविष्टियाँ

(ख) उन प्रतिभूतियों/जमाराशियों का वर्ष-वार ब्यौरा जिनके लिए रकम का दावा किया गया है

सं.	दावे का प्रकार (असंदत्त लाभांश/प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम /परिपक्व जमाराशि/परिपक्व ऋणपत्र/अन्य) ▼	धारण का प्रकार (वास्तविक /डीमैट) ▼	फोलियो सं. जिससे आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है पूरा डीमैट खाता संख्या जिसमें से आईईपीएफ में अंतरण किया गया है ▼	दावे की रकम	वित्तीय वर्ष जिससे दावा संबंधित है (वर्ष-वर्ष)	संदाय के लिखत की गैर- प्राप्ति/गैर- नकदीकरण का कारण
			कुल			

9. *निक्षेपागार का नाम



एनएसडीएल



सीडीएसएल

क. * डीमैट खाता संख्या जिसमें शेयर कंपनी/बैंक द्वारा जमा किए जाने हैं

(*उपयोगकर्ता को डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी दोनों के साथ सक्रिय डीमैट संख्या प्रविष्ट करनी है)

मान्य करें

ख. बैंक खाते का विवरण जिसमें रकम जमा की जाएगी (पहले से भरी हुई)

(क) बैंक खाता संख्या

(ख) बैंक का नाम

(ग) आईएफएससी कोड

(घ) एमआईसीआर कोड

संलग्नक

(क) *दावेदार के डी-मैट खाते की ग्राहक मास्टर सूची/
डीमैट धारण के लिए लेन-देन विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ख) *प्रतिभूति प्रमाणपत्र जैसे बांड/डिवेंचर/सावधि जमा
रसीदें/शेयर प्रमाणपत्र/ब्याज वारंट/लाभांश वारंट, आवेदन
संख्या/नियमों के अनुसार मूल शेयर प्रमाणपत्रों के खो जाने पर लेनदेन दस्तावेजों का
विवरण आदि)

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ग) *बैंक चेक प्रतिलिपि

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(घ) वैकल्पिक संलग्नक-यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फ़ाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा

☐ मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं * के संकल्प/प्राधिकरण संख्या प्राधिकृत हूँ कि इस प्ररूप को भरने और हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं को संकलित किया गया है, तारीख * के माध्यम से हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि:

इस रूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और कोई भी जानकारी दबाई या छिपाई नहीं गई है। सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्न कर दिया गया है।

व्यक्तिक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषणा

☐ मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे इस प्ररूप को फ़ाइल करने के उद्देश्य से * प्राधिकरण संख्या

इस रूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी दबाई या छिपाई नहीं गई है।

सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्न कर दिया गया है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

प्राधिकृत प्रतिनिधि का पदनाम / वृत्तिक अर्हता योग्यता

प्राधिकृत प्रतिनिधि की सदस्यता/डीआईएन संख्या/पैन संख्या

दावेदार द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं और उनके प्रासंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नक सहित यहां दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस कंपनी /बैंक के लिए पहले किसी भी अवसर पर उसी फोलियो और/या रकम और/या वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दावा किए गए शेयरों और/या रकम का दावा नहीं किया है/नहीं करूंगा।

☐ * मैं समझता/समझती हूँ कि मैं, दावेदार/प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ, इस प्ररूप में ऑनलाइन प्रतिदाय दावा फ़ाइल करने के बाद, नीचे निर्धारित संलग्नक कंपनी/बैंक के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में "आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा कों" लिफाफे पर लिख कर भेज दूंगा/दूंगी ताकि दावे के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू किया जा सके।

- 1 दावेदार हस्ताक्षर के साथ सम्यक रूप से भरे हुए दावे के प्ररूप का प्रिंट आउट
- 2 पावती मेल की प्रति
- 3 क्षतिपूर्ति बांड (मूल) दावेदार हस्ताक्षर के साथ
- 4 परिपक्व जमा या डिबेंचर के प्रतिदाय के मामले में, मूल प्रमाण पत्र
- 5 आधार कार्ड की प्रति
- 6 हकदारी का प्रमाण (शेयर का प्रमाण पत्र/ब्याज वारंट आवेदन संख्या आदि)
- 7 निरस्त की हुई चेक लीफ
- 8 विदेशियों और एनआरआई के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआई कार्ड की प्रति
- 9 प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दायर किया गया है तो प्राधिकृत पत्र की हस्ताक्षरित प्रति
- 10 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़, (यदि कोई हो)

ई-साइन

सेव

प्रस्तुत करें

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि:-
"इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोजनों, द्वारा या के लिए, किसी विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, विवरणिका, कथन या अन्य दस्तावेज में, कोई व्यक्ति कथन करता है, -

(क) जो किसी भी महत्वपूर्ण विशिष्टियों को गलत जानते हुए भी गलत बताता है; या

(ख) जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य को यह जानते हुए कि वह महत्वपूर्ण है, का लोप करना है, तो वह धारा 447 के अधीन उत्तरदायी होगा।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-फार्म फ़ाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

”

[फा.सं. 05/04/2020-आईईपीएफ]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-धारा (i) में संख्या सा.का.नि. 854 (अ), तारीख 5 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 1267 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 472 (अ), तारीख 22 मई, 2018, सा.का.नि. 343(अ), तारीख 1 मई, 2019, सा.का.नि. 571(अ), तारीख 14 अगस्त, 2019, सा.का.नि. 396(अ), तारीख 09 जून, 2021, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 09 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 791(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 888(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2021, सा.का.नि. 414(अ), तारीख 16 जुलाई, 2024 और सा.का.नि. 552(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

G.S.R. 733(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from 6th October, 2025.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, for the Form No. IEPF-5, the following Form shall be substituted, namely:-



भारत सरकार

“Form No. IEPF-5

Form language

Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out of Investor Education and Protection Fund

English ☒ Hindi ☐

[Pursuant to Section 125 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

1. Entitlement Letter issued by Company/Bank

☐ Yes

☐ No

If ‘Yes’ is selected in field no. 1
Copy of an Entitlement Letter

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

2. Claim is to be filed by

☐ Self

☐ Authorised Representative

If filing as Authorised Representative
Signed copy of Authority Letter

Max 2 MB

Choose File

Remove

Download

3. Applicant details

Particulars of the applicant

3 (a) *Category of Applicant

☐ Individual☐ Entity**Individual's details**

(b) First Name

(c) Middle Name

(d) Last Name

(e) Father's First Name

(f) Father's Middle Name

(g) Father's Last name

(h) *Date of Birth (DD/MM/YYYY)

Entity details

(i) Type of the Entity

(Company/LLP/Foreign Company/Foreign LLP/HUF/Sole Proprietorship/Partnership/Others)

(j) *CIN / FCRN / LLPIN / FLLPIN / Registration No.

(k) *Name of Entity

(l) *Date of Incorporation (DD/MM/YYYY)

Contact Details of Applicant

(m) * Address of the Claimant

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip Code

*Area/Locality

*City

District

*State/UT

(n) Phone number

(o) *Mobile Number (with Country code)			Send OTP	Re-send OTP
(p) *Enter OTP for Mobile Number		Verify OTP		
(q) *E-mail ID		Send OTP	Re-send OTP	
(r) *Enter OTP for E-mail ID		Verify OTP		
(s) Aadhaar Number				
(s)(i)*Aadhaar Card of the claimant and if joint holders are there, copy of Aadhaar card of all joint holders	Max 2 MB	Choose	Remov	Download
(t) Passport, OCI and PIO card number in case of foreigners and NRI				
(t)(i) *Copy Passport, OCI and PIO card in case of foreigners and NRI	Max 2 MB	Choose	Remove	Download
(u) *PAN of the applicant		Verify		

Company/Bank details**4 *Particulars of the company/bank from which the amount is due**

(a) *Corporate Identity number (CIN) of company / Bank Corporate Identification number (BCIN)	
(b) *Name of the company/bank	
(c) *Address of the registered office of the company/bank	
(d) *Email ID of the company/bank	

5 (a) *Is it a case of transfer or transmission under rule 7 (8) & 7(9) of IEPF Rules, 2016 Yes ☐ No ☐

(b) Name of original security holder	
(c) Relation of claimant with security holder	
(d) Number of Nominee/Legal heirs/Successors/ Administrator/ Others holders	
(e) Name of Beneficiary	
(f) Copy of death certificate attested by Claimant	Max 2 MB Choose Remove Download

- | S.No. | Type of claim
(Unpaid dividend/
Application money due
for refund/ Matured
deposits/ Matured
debentures/ Others | Type of
Holding
(Physical /
Demat) | Folio No.
from which
transfer has
been made to
IEPF | Amount
of the
claim | Financial
year to
which claim
relates
(YYYY-
YYYY) | Reason for
non-receipt/
non-
encashment of
the instrument
of payment |
|-------|---|---|--|---------------------------|---|---|
| | | | Complete
Demat
account
number from
which
transfer has
been made to
IEPF | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Total | | | |

9. *Name of Depository

☐ NSDL☐ CDSL

A. * Demat account number in which shares to be credited by company/bank

(*User has to enter active demat no. with both DPID and CLIENT ID)

B. Details of Bank account in which amount shall be credited (prefilled)

(a) Bank account number

(b) Bank Name

(c) IFSC Code

(d) MICR Code

Attachments

(a) *Client Master List of De-mat A/c of the claimant / Transaction statement for demat holding

Max 2 MB

(b) *Securities Certificate such as Bonds/Debentures/Fixed Deposit receipts/Certificate of share/Interest warrant/Dividend warrant, Application No./Statement of transaction documents for loss of original share certificates as per rules etc.)

Max 2 MB

(c) *Bank cheque copy

Max 2 MB

(d) Optional Attachments-If any

Max 2 MB

Declaration by the Authorised Representative of Entity

☐ I declare that I am authorized by the vide *resolution/authorization Number dated <dd/mm/yyyy> to fill and sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information has been suppressed or concealed.

All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

Declaration by the Authorised Representative of Individual

☐ I declare that I have been duly engaged by vide *authorization number *dated <dd/mm/yyyy> for the purpose of filing of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto. I further declare that:

Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information has been suppressed or concealed.

All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

Name of the Authorised Representative

Designation/Professional Qualification of the Authorised Representative

Membership/DIN No /PAN No of the Authorised Representative

Declaration by Claimant

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein including the attachments to this form is true, correct and complete and nothing material has been concealed.

I declare that I have not claimed/ will not claim, the shares and/or amount claimed under the same folio and/or for same financial year on any earlier occasion for this company/bank.

☐ * I understand that I, am the claimant/authorised representative, after filing the refund claim in this form online, shall send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company / bank at its registered office in an envelope marked “claim for refund from IEPF Authority” for initiating the verification for claim

- 1 Print out of duly filled claim form with claimant signature
- 2 Copy of acknowledgement mail
- 3 Indemnity Bond (original) with claimant signature
- 4 In case of refund of matured deposit or debenture, original certificate thereto
- 5 Copy of Aadhaar Card
- 6 Proof of entitlement (certificate of share/Interest warrant Application No. etc.)
- 7 Cancelled Cheque leaf
- 8 Copy of Passport, OCI and PI card in case of foreigners and NRI
- 9 Signed Copy of Authority Letter if filed by Authorised representative
- 10 Other optional document, (if any)

Save

Submit

E-Sign

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which states that-

“Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement, -

(a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material, he shall be liable under section 447”

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

”.

[F. No. 05/04/2020-IEPF]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 854 (E), dated the 5th September, 2016 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 178(E) dated the 28th February, 2017, G.S.R. 1267 (E), dated the 13th October, 2017, G.S.R. 472 (E), dated the 22.05.2018, G.S.R. 343(E), dated the 1st May, 2019, G.S.R. 571(E), dated the 14th August, 2019, G.S.R. 396(E), dated the 09th June, 2021, G.S.R. 785(E), dated the 09th November, 2021, G.S.R. 791(E), dated the 12th November, 2021, G.S.R. 888(E), dated the 28th December, 2021, G.S.R. 414(E), dated the 16th July, 2024 and G.S.R. 552(E), dated the 9th September, 2024.

